फार्म – ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान

उपस्थित – राजेश कुमार त्रिपाठी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान

निर्णय का दिनांक : 11.12.2025
सत्रवाद संख्या : 36/2024
निबंधन सं0 : 36/2024

सिवान मुफसिल थाना काण्ड संख्या– 339/2021,
अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0

परिवादी / सूचक	राज्य द्वारा प्रियंका कुमारी पिता बाबूलाल राम, निवासी– ग्राम– सरसर, थाना– मुफसिल, जिला– सिवान
अभियोजन की तरफ से	श्री रघुबर सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. छोटेलाल राम एवं 2. सोहिल उर्फ बहादुर कुमार
बचाव पक्ष की तरफ से	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

घटना की तारीख	12.07.2021
प्राथमिकी की तिथि	22.07.2021
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	07.04.2022
आरोप गठित किये जाने की तिथि	05.04.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	23.10.2024
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	05.12.2025
निर्णय की तिथि	11.12.2025
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कुछ नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त संख्या	1
अभियुक्त का नाम	छोटेलाल राम, पिता– स्व0 भुटेली राम, उम्र– 52 वर्ष निवासी– ग्राम– सरसर, थाना– मुफसिल, जिला– सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	आत्मसमर्पण किया है।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	03.11.2021

आरोपित धारा	अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	2
अभियुक्त का नाम	सोहिल उर्फ बहादुर कुमार, पिता– छोटेलाल राम, उम्र– 28 वर्ष, निवासी– ग्राम– सरसर, थाना– मुफसिल, जिला– सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	26.03.2022
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	29.04.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

निर्णय

1. इस वाद के अभियुक्तगण छोटेलालराम एवं सोहिल उर्फ बहादुर कुमार के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 323, 354ए, 308, 504/34 के तहत आरोप गठन किया गया जिसको अभियुक्तगण के द्वारा इनकार किये जाने पर विचारण किया गया।

2. संक्षेप में इस वाद में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 12.07.2021 को सूचिका शाम के 06 बजे धान की रोपनी कर घर आ रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त सोहिल उर्फ बहादुर गलत नियत से पीछे से उसे पकड़ लिया तथा छेड़ खानी करने लगा। सूचिका चिल्ला कर घर पहूंची तथा अपनी मां को सारी बातें बताई, तब सूचिका की मां अभियुकत के घर पहुंची तो अभियुक्तगण ने उनलोगों के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मां का सिर फट गया एवं शरीर के अन्य भागों पर चोट लगी।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर यह कांड सिवान मुफसिल थाना काण्ड संख्या– 339/2021 के रूप में दिनांक 22.07.2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोप पत्र सं0 135/2022 दिनांक 07.04.2022 को धारा 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा.द.वि. अंतर्गत समर्पित किया, तत्पश्चात तत्कालिन अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सिवान के द्वारा उक्त धारा में संज्ञान लेकर वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्दगी हेतु भेजा गया।

4. दिनांक– 05.04.2024 को अभियुक्त के विरूद्व आरोप अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0 में गठित करके अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

5. अभियोजन साक्ष्य के बंद करने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अंर्तगत धारा 313 द0प्र0सं0 के अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन के साक्ष्य से इन्कार किया एवं बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

6. न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या अभियोजन अभियुक्त पर लगाए गए आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह के छाया के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>अभिमत</u>

7. तथाकथित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन के तरफ से कुल मिलाकर दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। साक्षी सं0 1– किसमती देवी एवं साक्षी सं0 2– प्रियंका कुमारी (सूचिका) को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के क्रम में लिखित आवेदन पर सूचिका प्रियंका कुमारी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित कराया गया है।

9. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को सुना एव अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0 की विवेचना की जा रही है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 सूचिका किसमती देवी हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना तीन साल पहले की है। इस केस की सूचिका प्रियंका देवी मेरी बेटी है। घटना के दिन छोटे लाल और सोहिल कुमार बहादुर से झगड़ा हुआ था। दोनों गाली गलौज कर रहे थे। मुझे गिर जाने के वजह से चोट लगा गया। मेरा ईलाज सदर अस्पताल सिवान में हुआ। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण छोटे लाल और सोहेल बहादुर का पहचानती हूॅ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया। प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में साक्षी ने कथन किया है कि किसी ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया था। मुझे गिर जाने के वजह से चोट लगा था। मैंने आज राजी खुशी से बयान दिया है। मेरी बेटी प्रियंका के साथ भी कोई घटना नहीं घटित हुआ था। पुलिस ने जो केस किया था उसमें प्रियंका का कोई गवाही नहीं लिया था। आवेदन पत्र किसी दूसरे ने लिखा था और प्रियंका को पढकर नहीं सुनाया था और प्रियंका से हस्ताक्षर भी करवा लिया था।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 प्रियंका कमारी हैं जो इस केस की सूचिका है एवं अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं इस केस की सूचिका हूॅ। लगभग चार साल पहले की घटना है। समय शाम के 06 बजे का था। मैं खेत से धान की रोपनी करके घर आ रही थी तो रास्ते चक्कर आया तो गिर गई थी। जिससे मुझे चोट लग गया था। मेरे साथ कोई गाली गलौज नहीं हुआ था। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे देखकर पहचानती हूॅ। इसे प्रदर्श 01 अंकित किया जाता है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण छोटे लाल राम और सोहेल कुमार को पहचानती हूॅ। तदनोपरान्त अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कथन किया है कि मैंने आज राजी खुशी से बयान दिया है। अभियुक्तगण मेरे भाई एवं चाचा हैं इसलिए पहचानती हूॅ।

10. अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्ति संदेह के छाया के परे साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मामले में कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, सभी ने अभियोजन के कथन

का समर्थन किया है। इसलिए विचारणरत अभियुक्त को आरोपित धारा में अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए।

11. बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि अभियोजन प्रस्तुत मामले में अपने कथन को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसलिए विचारण के अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाए।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना। उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में अभियोजन की तरफ से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह की छाया के परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सं0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि किसी ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया था। मुझे गिर जाने के वजह से चोट लगा था। मैंने आज राजी खुशी से बयान दिया है। मेरी बेटी प्रियंका के साथ भी कोई घटना नहीं घटित हुआ था। पुलिस ने जो केस किया था उसमें प्रियंका का कोई गवाही नहीं लिया था। आवेदन पत्र किसी दूसरे ने लिखा था और प्रियंका को पढकर नहीं सुनाया था और प्रियंका से हस्ताक्षर भी करवा लिया था। साक्षी सं0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस केस की सूचिका हूॅ। लगभग चार साल पहले की घटना है। समय शाम के 06 बजे का था। मैं खेत से धान की रोपनी करके घर आ रही थी तो रास्ते चक्कर आया तो गिर गई थी। जिससे मुझे चोट लग गया था। मेरे साथ कोई गाली गलौज नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कथन किया है कि मैंने आज राजी खुशी से बयान दिया है। अभियुक्तगण मेरे भाई एवं चाचा हैं इसलिए पहचानती हूॅ। प्रस्तुत मामले में इस मुकदमा के अन्य साक्षियों सरोज देवी, विद्यावती देवी, तेजा साह, नमी राम, मंटू राम के अलावा विवेचक एवं डॉक्टर को परीक्षित नहीं कराया गया और नहीं परीक्षित कराये जाने का कोई कारण दर्शित किया गया। परीक्षित दोनों ही साक्षी क्रमशः इस केस की सूचिका/पीड़िता और जख्मी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। दोनों ही साक्षी ने गिर जाने के कारण चोट लगने की बात अपने साक्ष्य में कहा है। अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना नहीं कारित किया गया है। ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले में इस कांड में अभियुक्तगण की संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार से उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर

लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 भा0द0वि0 को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। इसलिए विचारण का अभियुक्तगण अपने उपर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अतः विचारण के अभियुक्तगण छोटेलालराम एवं सोहिल उर्फ बहादुर कुमार को आरोप अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 308, 504/34 को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त करता हूँ, इनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित करता हूँ। अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि वह धारा –437(A) दं0प्र0स0 के अनुपालन मो0 10,000/– का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

सिवान, दिनांकित – 11.12.2025

ह0/–

(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
सिवान।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

सिवान, दिनांकित – 11.12.2025

ह0/–

(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
सिवान।

फार्म – सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से –

अभियोजन साक्षी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सिय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या–1	किसमती देवी	सूचिका
साक्षी संख्या–2	प्रियंका कुमारी	पीड़िता

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी – बचावपक्ष के तरफ से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(C) न्यायालय साक्षी– कोई नहीं।

अभियोजन/बचावपक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची–

प्रदर्श सं0	**प्रदर्श का विवरण**
01	सूचिका किसमती देवी का लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर

(B) बचावपक्ष के तरफ से –कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(C) न्यायालय प्रदर्श – कुछ नहीं।

(D) वस्तु प्रदर्श–कुछ नहीं।

दिनांक – 11.12.2025

(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
सिवान